न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :–श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 – 784 / 2022

अनवान : –

1. अजय कुमार गर्ग पुत्र रामस्वरूप जाति महाजन निवासी नोहर तहसील नोहर।

वादी

बनाम्

1. रामस्वरूप पुत्र नागरमल जाति महाजन निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. सुनील गर्ग पुत्र रामस्वरूप जाति महाजन निवासी नोहर तहसील नोहर।
3. निलम पुत्री रामस्वरूप जाति महाजन निवासी नोहर तहसील नोहर।
4. अन्जु पुत्री रामस्वरूप जाति महाजन निवासी नोहर तहसील नोहर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता **वादी**
श्री भरतसिंह बैनीवाल अधिवक्ता **प्रतिवादी**

निर्णय दिनांकः 21/01/23

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 4 बीकेके की जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता सं0 27/0 की कुल 4.0100है0 में प्रतिवादी सं0 1 के नाम 1/12 व रोही मौजा चक 26 एनटीआर के खाता सं0 153/74 की कुल 0.9740है0 में प्रतिवादी सं0 1 के नाम 1/5 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादीगण व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू रीति–रिवाज से शासित है। प्रतिवादी सं0 1 कर्ता खानदान होने के कारण उक्त वाद भूमि को तन्हा अपने नाम दर्ज करवा ली, उक्त वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादी तथा प्रतिवादी सं0 1 ता 4 का जन्म से हक हिस्सा निहित है। वादी व प्रतिवादीगण के मध्य हुए पारिवारिक समझौते अनुसार चक 4 बीकेके की वाद भूमि प्रतिवादीगण ने वादी को दे दी व चक 26 एनटीआर की वाद भूमि प्रतिवादी स्वयं ने अपने नाम रख ली । प्रतिवादी सं0 2 ने अन्य कृषि भूमि में अपना हिस्सा स्वीकार किया था इस प्रकार वादी अपने हिस्से की भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है। लिहाजा यही बिनाय मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 ने दावा की सभी मद संख्याओं को स्वीकार करते हुए अपना जवाब ईकबाल [illegible] जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी सं0 5 ने अपना जवाब प्रस्तुत किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.18 15:30:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

साक्ष्य वादी में वादी के द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत पेश सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जिसमें वादी व प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। वादीगण को घरेलु जरूरतों के हिसाब से केसीसी आदि की आवश्यकता रहती है जिसके लिए अपने हिस्सा अनुसार अपने हकों की घोषणा करवाने चाहते है। इस हेतु प्रतिवादीगण ने भी सहमती प्रकट कर वाद की सभी मद संख्याओं को स्वीकार करते हुए जवाब इकबाल पेश किया है। वादी व प्रतिवादीगण के मध्य हुए पारिवारिक समझौते अनुसार चक 4 बीकेके की वाद भूमि प्रतिवादीगण ने वादी को दे दी व चक 26 एनटीआर की वाद भूमि प्रतिवादी स्वयं ने अपने नाम रख ली। अतः मुताबिक अनुतोष वाद वादी डिक्री किये जाने का निवेदन है।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद में वादी ने रोही मौजा चक 4 बीकेके की जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता सं0 27/0 की कुल 4.0100है0 में प्रतिवादी सं0 1 के नाम 1/12 हिस्सा दर्ज है , उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से दादालाई कृषि भूमि होना साबित है तथा पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी सं0 1 रामस्वरूप के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादी सं0 1 के नाम उपरोक्त वाद भूमि के अलावा अन्य कृषि भूमि स्थित है। प्रतिवादी सं0 3 ता 4 ने अपना हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। इस प्रकार वादी वादी मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी स्वीकार योग्य होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 4 बीकेके की जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता सं0 27/0 की कुल 4.0100है0 में प्रतिवादी सं0 1 के नाम 1/12 हिस्सा दर्ज है, में प्रतिवादी सं0 1 रामस्वरूप का नाम कलमजन किया जाकर वादी अजय कुमार गर्ग को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामज कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27/01/23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.18 15:30:14 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर नोहर जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 – 784/2022

अनवान : –

1. अजय कुमार गर्ग पुत्र रामस्वरूप जाति महाजन निवासी नोहर त0 नोहर ।

– वादी

बनाम्

1. रामस्वरूप पुत्र नागरमल जाति महाजन निवसी नोहर त0 नोहर।
2. सुनील गर्ग पुत्र रामस्वरूप जाति महाजन निवासी नोहर त0 नोहर।
3. निलम पुत्री रामस्वरूप जाति महाजन निवासी नोहर त0 नोहर।
4. अंजू पुत्री रामस्वरूप जाति महाजन निवासी नोहर त0 नोहर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर। – प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र गोदारा व वकील प्रतिवादी श्री सुबोध शर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 4 बीकेके की जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता सं0 27/0 की कुल 4.0100है0 में प्रतिवादी सं0 1 के नाम 1/12 हिस्सा दर्ज है, में प्रतिवादी सं0 1 रामस्वरूप का नाम कलमजन किया जाकर वादी अजय कुमार गर्ग को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामज कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 27/01/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.18 15:30:14 IST
Reason: SelfAttested